

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम
श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

दा.प्र.क. क्रमांक 532/12

संस्थित दिनांक 29.06.2012

फा.नं.234503001032012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड
जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

विरुद्ध

हेमन्त पिता पनकू गोंड, उम्र-20 वर्ष,
निवासी ग्राम तिन्साटोला मोहगांव थाना मलाजखंड,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....अभियुक्त।

-:: निर्णय ::-::

दिनांक 12.09.2017 को घोषित:-

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(दो शीर्ष), 304ए एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-3/181 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 20.04.2012 को रात के 11 बजे ग्राम बंजारीटोला मेन रोड बंजारी माता मंदिर के पास थाना मलाजखंड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.10,ई.डी.7503 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर वाहन हीरो होण्डा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.सी.4395 में टक्कर मारकर आहत हरी एवं हेमन्त स्वयं को उपहति कारित किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर आहत सम्पतसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है तथा उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस के चालन किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी साहबसिंह ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 20.04.2012 को युनेस, सुखचंद, मन्नु, राजा तथा अन्य लोगों के साथ बाजा बजाने मलाजखंड शादी में गया था। रात्रि लगभग 12:00 बजे उसके लड़के संतोष ने आकर बताया कि बड़े भैया सम्पसिंह धुर्वे मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.सी.4395एन.एक्स.जी. हीरो होण्डा को बंजारी माता मंदिर के पास मेन रोड पर ग्राम तिन्साटोला के एक व्यक्ति ने जिसका नाम नहीं मालूम अपनी हीरो होण्डा स्पलेण्डर क्रमांक सी.जी.10ई.डी.7503 को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर सम्पतसिंह को टक्कर मार दिया, जिससे उसे मस्तक, सिर एवं चेहरे पर चोटें आईं। उसके बाद वह अपने साथियों के साथ मौके पर गया था और देखा था कि सम्पतसिंह बेहोश रोड पर पड़ा हुआ था तथा उसकी एवं आरोपी की मोटर सायकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में रोड पर पड़ी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा, गवाहों के कथन, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। विवेचना दौरान सम्पतसिंह की मृत्यु होना पाये जाने से धारा-304ए भा.द.वि. तथा बिना लायसेंस के वाहन चालन किये जाने से मो.व्ही. एक्ट का धारा-3/181 का

ईजाफा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(दो शीर्ष), 304ए एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-3/181 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.04.2012 को रात के 11 बजे ग्राम बंजारीटोला मेन रोड बंजारी माता मंदिर के पास थाना मलाजखंड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.10,ई. डी.7503 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारकर आहत हरी एवं हेमन्त स्वयं को उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर आहत सम्पतसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?
4. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन का बिना वैध लायसेंस के चालन किया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 से 03 का निष्कर्ष :-

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी साहबसिंह (अ0सा0-01) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपी हेमन्त एवं मृतक सम्पत दोनों को जानता है। घटना दिनांक 20.04.2012 को बंजारी माता मंदिर की है। घटना दिनांक को वह बाजा बजाने के लिये गया था। संतोष और सम्पत शादी में जा रहे थे, तो पेट्रोल भरने के लिये जा रहे थे, तो संतोष को उतार दिया और वह पेट्रोल भरने गया था। रास्ते में बंजारी मंदिर के पास आरोपी ने सी.जी.10 से ठोस मार दिया था। उसे घटना की सूचना उसके लड़के संतोष ने दिया था। वह सभी लोग बंजारी माता के पास घटनास्थल पर गये थे और वहां से मलाजखण्ड अस्पताल ले गये थे तो डॉक्टर ने फौत घोषित कर दिया था। उक्त दुर्घटना में आरोपी हेमन्त की गलती थी। घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में दर्ज करवाया था, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर उसकी निशादेही पर मौका नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके

हस्ताक्षर है। पुलिस ने संपतसिंह की मृत्यु का नक्शा पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी.03 है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान ली थी।

06— साक्षी साहबसिंह (अ0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसका लड़का मृतक संपतसिंह पेट्रोल भराने के लिये पौनी आ रहा था, घटनास्थल पौनी पेट्रोल पंप से एक किलोमीटर पहले पड़ता है, मलांजखण्ड से घटनास्थल की दूरी दो किलोमीटर है। वह यह नहीं बता सकता कि मृतक तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुये पेट्रोल भराने जा रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर सीमेंट सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा था, घटना रात्रि के लगभग 11:00 बजे की है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना के समय ट्रक को साईड देते समय घटना घटी थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना अंधेरा होने के कारण घटित हुई थी, उसने घटना होते हुये नहीं देखी, वह लोगों के बताये अनुसार उक्त बातें बता रहा है, रिपोर्ट लिखाते समय किसने ठोस मारा था, उसका नाम नहीं बताया था। आरोपी का नाम लोगों के बताने पर ही जानकारी लगी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई थी वह नहीं बता सकता, किन्तु यह अस्वीकार किया कि मृतक की लापरवाही से वाहन चलाने के कारण घटना घटित हुई थी।

07— साक्षी संतोष (अ0सा0-02) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपी हेमंत एवं मृतक सम्पत दोनों को जानता है। घटना दिनांक 20.04.2012 को बंजारी माता मंदिर की है। घटना दिनांक को नेवरगांव शादी में जा रहे थे। बंजारी के पास पानढेला के पास उतर गया और पेट्रोल के लिये जा रहा था, उसी समय आरोपी हेमन्त ने ठोस मार दिया। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर सी.जी.10.ई.डी.7503 था। आरोपी ने अपने वाहन को तेज गति से चलाकर उसके भाई संपतसिंह को टक्कर मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उसने पिता को फोन लगाकर बताया तो उसके पिताजी घटनास्थल पर चार-पांच लोगों के साथ आये थे। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने मौके पर आकर मौका-नक्शा तैयार की थी, जिस पर उसने हस्ताक्षर अपने घर में किया था।

08— साक्षी संतोष (अ0सा0-02) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना होने के बाद घटनास्थल पर गया था, घटना रात्रि 11-12 बजे के बीच की है, सड़क पर घटनास्थल में स्ट्रीट लाईट नहीं थी, मृतक उसका भाई था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका भाई संपत तेजी से चलाकर पेट्रोल भरने के लिये जा रहा था, उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, इसलिये तेजी से जा रहा था, मृतक की गलती से दुर्घटना कारित हुई थी, वह घटना के बाद में गया था, इसलिये नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी, मृतक उसका भाई था, इसलिये वह झूठे कथन कर रहा है।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के समय पुलिस को बयान देते समय गाड़ी कौन चला रहा था, इसकी उसे जानकारी नहीं थी।

09— साक्षी हरि मरकाम (अ0सा0-05) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपी तथा मृतक संपतसिंह को जानता है। घटना लगभग दो-तीन साल पूर्व रात्रि 9:00 बजे ग्राम बंजारीटोला मंदिर के पास की है। घटना दिनांक को वह और हेमन्त मोटरसायकिल से शादी में मलांजखण्ड तरफ जा रहे थे। उक्त मोटरसायकिल को आरोपी हेमन्त चला रहा था, जैसे ही उन लोंग बंजारीटोला मंदिर के पास पहुंचे, तो सामने से एक दस चका ट्रक पहुंचा तो सामने से एक मोटरसायकिल वाले ने ट्रक को ओवरटेक करके आगे बढ़ रहा था, तो उनकी मोटरसायकिल और मृतक संपत की मोटरसायकिल आपस में टकरा गई थी, जिससे उन लोग और सामने से मोटरसायकिल चालक भी गिर गया था। उक्त दुर्घटना में उसे दाहिने हाथ की उंगली में एवं मस्तिष्क पर चोट थी। सामने के मोटरसायकिल चालक की दुर्घटना के पश्चात मृत्यु हो गई थी। बाद में उसे पता लगा कि सामने से आ रहा मोटरसायकिल चालक तेजी से जा रहा था, क्योंकि उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसका ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था।

10— साक्षी हरि मरकाम (अ0सा0-05) के अनुसार सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी हेमन्त के पास मोटरसायकिल चलाने का लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस न होने के बाद भी आरोपी मोटरसायकिल चलाते हुये मलांजखण्ड जा रहा था, लाइसेंस तभी बनता है, जब व्यक्ति गाड़ी अच्छे से चलाना जानता हो, घटना के समय हेमन्त को मोटरसायकिल चलाते अच्छे से नहीं बनता था, इसी कारण हेमन्त ने लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकिल चलाकर सामने से आ रही मोटरसायकिल को टक्कर मार दी थी। साक्षी के अनुसार सामने से आ रही मोटरसायकिल का चालक मोटर सायकिल को लापरवाही से चला रहा था, उसने पुलिस कथन प्रपी.04 में पुलिस को बयान देते समय हेमन्त के द्वारा तेज रफ्तार से लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकिल चलाने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी.04 के कथन में हेमन्त मोटरसायकिल को तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक चलाने वाली बात लिखी है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को बयान देते समय ट्रक के पीछे से आ रही मोटरसायकिल चालक ने ट्रक को ओवरटेक किया था एवं गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिये तेज चला रहा था, वाली बात उसने नहीं बताया था, उसने पुलिस को प्रपी.04 में बताया था, पुलिस ने वैसा ही लेख किया था तथा उसका ईलाज शासकीय अस्पताल मोहगांव में हुआ था।

11— साक्षी हरि मरकाम (अ0सा0-05) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना उसके समक्ष घटित हुई थी, मृतक संपतसिंह ने अपनी मोटरसायकिल को ट्रक से ओवरटेक करते हुये उनकी मोटरसायकिल में टक्कर मार दी थी। हेमन्त अपनी मोटरसायकिल को नियंत्रण में सामान्य गति

से चला रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतक संपतसिंह अपनी मोटरसायकिल में पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये आ रहा था, लाईसेंस होने पर भी दुर्घटना होती है, दुर्घटना में हेमन्त की कोई गलती नहीं थी। उक्त दुर्घटना के समय मृतक संपतसिंह तथा आरोपी हेमन्त एवं उसके अलावा कोई और वहां मौजूद नहीं था। यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल के आसपास कहीं पर भी कोई पानटोला घटना के समय मौजूद नहीं था और वर्तमान में भी नहीं है।

12— साक्षी भुवनेश्वर ठाकरे (अ0सा0-03) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह मृतक संपतसिंह को जानता था। वह आरोपी एवं शेष आहतगण को नहीं जानता। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन साल पूर्व की है। घटना दिनांक को जब वह घर में था, तब उसे पता चला कि संपतसिंह जो मोटरसायकिल से बंजारीटोला तरफ जा रहा था, उसका बंजारी माता मंदिर के पास एक मोटरसायकिल चालक ने एक्सीडेंट कर दिया था, जिसमें संपतसिंह की मृत्यु हो गई थी। फिर वह दूसरे दिन संपतसिंह को देखने बिरसा अस्पताल गया था। उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे या नहीं। साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को जब उसे घटना का पता लगा तो वह घटनास्थल पर गया था, जहां पर संपतसिंह रोड पर पड़ा था तथा सी.जी.10.ई.डी.7503 का चालक तथा उसका एक साथी भी वही पड़े हुए थे, घटना के समय वाहन आरोपी हेमन्त चला रहा था, उसने पुलिस को प्रपी.04 का कथन दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे जानकारी लगी थी कि सामने वाले मोटरसायकिल चालक की लापरवाही से घटना घटी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी हेमन्त ने पुलिस को यह कथन दिया था, कि घटना के समय वह वाहन चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके बयान में क्या लिखा था, उसे पढ़कर नहीं सुनाया था तथा घटना के समय दिनेश नाम का व्यक्ति वाहन चला रहा था, ऐसा उसे पता चला था।

13— साक्षी सुखचंद (अ0सा0-04) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपी हेमन्त को जानता है एवं आहत हरि और मृतक संपतसिंह को भी जानता है। घटना वर्ष 2012 की है। घटना दिनांक को वह लोग मलांजखण्ड में थे, तो उसे आरोपी हेमन्त के साथियों ने बताया कि उनके गांव के लड़के का एक्सीडेंट बंजारी माता के पास हो गया है। उक्त सूचना पर वह लोग अस्पताल गए थे। उस समय आरोपी हेमन्त अस्पताल के कैम्पस के अन्दर गाड़ी में बैठा था और उसे भी चोटें आई थी। घटना की सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर गया था, जहां पर संपतसिंह मृत अवस्था में पड़ा था और मृतक की गाड़ी और अन्य मोटरसायकिल भी पड़ी हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दुर्घटना की सूचना के पश्चात् जब वह घटनास्थल पर गया था, तो मृतक संपतसिंह के साथ मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.10.ई.डी.7503 का चालक और उसका एक साथी वहीं पड़ा था और उन्होंने ही तीनों को घटनास्थल से उठाकर ईलाज हेतु

बिरसा अस्पताल ले गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी हेमन्त की लापरवाही से उक्त घटना घटी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखा था, इसलिये नहीं बता सकता कि घटना किसकी लापरवाही से हुई थी, तथा वह कहीं सुनी बातें बता रहा है तथा पुलिस ने उसके बयान में क्या लिखी थी, उसे पढ़कर नहीं बताई थी। वह पहली बार इस प्रकरण में कथन दे रहा है।

14— साक्षी मन्नूसिंह (अ0सा0-08) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता तथा मृतक संपतसिंह को जानता है। मृतक संपतसिंह की मृत्यु एकसीडेंट से हुई थी, जिसे उठाकर अस्पताल ले गये थे। पुलिस ने नक्शा पंचनामा बनाया हो तो उसकी उसे जानकारी नहीं है, जो प्रपी0-3 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था और ना ही पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 20.04.2012 को गांव के साथी साहबसिंह, भुवनेश्वर, सुखचंद, राजा धुर्वे के साथ बाजा बजाने शादी में मलांजखण्ड गये थे, साहबसिंह का लड़का संतुसिंह धुर्वे है। उसे संतुसिंह ने बताया था कि बंजारीटोला मंदिर के पास एकसीडेंट हो गया था। उसे उस एकसीडेंट करने वाले वाहन का नंबर याद नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि हीरो होण्डा मोटरसायकिल का नंबर सी.जी.10.ई.डी.7503 के चालक तिसाटोला मोहगांव वाले ने अपनी मोटरसायकिल को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर संपतसिंह धुर्वे को टक्कर मार दिया था, जिससे उसे मुंह व सिर पर चोट लगी थी, वह और उसके साथी उसे देखने मौके पर गये थे। उसने उसके मस्तिष्क पर चोट देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि संपतसिंह को ईलाज हेतु बिरसा अस्पताल ले गये थे, जहां उसकी मृत्यु हो गयी थी। वह नहीं बता सकता कि घटना में मोटरसायकिल चालक की गलती थी या नहीं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि वह नहीं बता सकता कि घटना ओवरटेक करने के कारण घटित हुई थी। उसे याद नहीं है कि मृतक की गलती से घटना घटित हुई थी।

15— साक्षी डॉ0 एम0मेश्राम (अ0सा0-09) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह दिनांक 15.05.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलांजखण्ड के सैनिक समलिसिंह कमांक-190 के द्वारा आहत हरि को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण में उसने पाया था कि सिर के मध्य भाग पर एक पूरी तरह से भर चुका काले रंग का निशान मौजूद था। माथे के मध्य भाग पर एक पूरी तरह भरा काले रंग का निशान था। दाहिने बक्खे पर एक पूरी तरह भर चुका काला निशान था। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटे किसी कड़े व बोथरी व खुरदुरी वस्तु द्वारा आना प्रतीत होती थी। चोटें साधारण प्रकृति की रही होंगी। चूंकि चोटों के स्थान पर सिर्फ निशान बाकी था इसलिये अवधि के संबंध में बताना मुश्किल था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-5 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16— साक्षी डॉ० एम०मेश्राम (अ०सा०-०९) के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसी आरक्षक के द्वारा आहत हेमन्त को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण में उसने पाया था कि दाहिने आंख के बाजू में एक पूरी तरह भरा काला निशान था। बांयी आंख की उपरी पलक से लेकर बायें आंख के नीचे के भाग पर एक पूरी तरह से भरा काला निशान था। दाहिने कंधे पर एक पूरी तरह भरा काला निशान था। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें किसी कड़े व बोथरी व खुरदुरी वस्तु द्वारा आना प्रतीत होती थी। चोटें साधारण प्रकृति की रही होंगी। चूंकि चोटों के स्थान पर सिर्फ निशान बाकी थे, इसलिये अवधि के संबंध में बताना मुश्किल था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-9 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसके द्वारा दोनो आहतों का ईलाज दिनांक 15.05.2012 को किया गया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 20.04.2012 को आहत को मुलाहिजा हेतु नहीं लाया गया था। साक्षी के अनुसार आहतगण गंभीर अवस्था में थे, जिन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय रिफर कर दिया गया था। इसके पश्चात दिनांक 15.05.2012 को उसने उनका परीक्षण किया था। यह अस्वीकार किया है कि आहतगण को दिनांक 15.05.2012 को ही लाया गया था।

17— साक्षी डॉ० एल.एन.एस. उइके (अ०सा०-11) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह दिनांक 27.04.2012 को खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर बिरसा में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलांजखण्ड के आरक्षक सनूप सिंह क्रमांक-732 के द्वारा शव परीक्षण हेतु संपतसिंह को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया। आहत का परीक्षण करने पर उसने पाया कि शव ठंडा था और चित्त अवस्था में था। शव की आंख की पुतलियां फेली हुई थी। शव के दोनों हाथ एवं पैर में राईगर मार्टिस था, त्वचा और उंगलियों के पोर पीले थे। उसकी आंख और मुँह बंद था। बाल सामान्य अवस्था में थे। शव परीक्षण में उसने पाया था कि उसमें एक कटा-फटा घाव था, उसकी रक्त वाहियां फटी हुई थी। चोट की गहराई हड्डी की गहराई तक थी, जो उसके सिर के कपाल में स्थित था। उक्त घाव से ब्लड का आंशिक रूप से जमा हुआ खून का रक्तस्राव हो रहा था, जो आंशिक रूप से जमा हुआ था। उक्त घाव से संबंधित हड्डी टूटी हुई थी और उससे चिपका हुआ आंतरिक भाग का टेटरियम सेरीब्राईम्स, सेरीबर, हेमिस्पेयर सभी रक्तचर हो गये थे, जहां जमा हुआ खून का थक्का पाया था और उक्त सभी घाव व चोटें ग्रीवियस और जानलेवा स्वरूप की थी।

18— साक्षी डॉ० एल.एन.एस. उइके (अ०सा०-11) के अनुसार उसके द्वारा मृतक का आंतरिक परीक्षण करने पर उसने पाया था कि मृतक के शरीर के बाहरी भाग को देखने से मृतक की कद-काठी सामान्य प्रकार थी। कपाल और मेरुदण्ड सभी पेल थे। शव की छाती के आंतरिक भाग के विच्छेदन पर पर्दा, पसली, कोमलस्य, फुफ्फुस, कंठ, और श्वासनली, दाहिना फेफड़ा, पेरिआन परकरसियम, हृदय, वृहद वाहिका सभी पेल थी। उदर, पर्दा, आंत की झिल्ली तथा ग्रास नली, ग्रसनी सभी पेल थे। आमाशय आंशिक रूप से खाद्य पदार्थ, आंशिक रूप से भरी हुई थी। बड़ी आंत और उसके भीतर की वस्तुएं द्रवीय भोज्य पदार्थ आंशिक रूप से भरी हुई थी। बड़ी आंत और उसके भीतर की

वस्तुएं आंशिक रूप से मल पदार्थ से भरी हुई थी। यकृत, प्लीहा, गुर्दा, पेल थे, मूत्राशय खाली था। भीतरी और बाहरी जननेन्द्रियां सामान्य थी। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु का कारण मृतक के मस्तिष्क में गंभीर, जानलेवा और खतरनाक चोट लगने के स्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव होने से जो शॉक लगा था, उसके परिणमस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी। मृतक की मृत्यु उसके शव परीक्षण के 12 से 24 घण्टे के अंदर हुई थी। उसकी रिपोर्ट प्रपी0-12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

19— साक्षी राजा धुर्वे (अ0सा0-07) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि उसके समक्ष घटनास्थल से आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अस्वीकार किया है कि दिनांक 22.04.2012 को बंजारीटोला थाना मलांजखण्ड बंजारी माता मंदिर के पास घटनास्थल से एक हीरो होण्डा स्पलेण्डर काले रंग की क्रमांक एम.पी.50.एमपी.4395 क्षतिग्रस्त हालत में एवं एक हीरो होण्डा काले रंग की जिसका नंबर सी.जी.10.ई.डी.7503 क्षतिग्रस्त हालत में पुलिस ने जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रपी0-7 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं।

20— साक्षी मनोज मेश्राम (अ0सा0-10) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि उसने थाना मलांजखण्ड के अपराध क्र. 56/12 के मामले में जप्त हीरोहोण्डा एन.एक्स.जी. काले रंग की नंबर एम.पी.50.एन.सी.4395 का परीक्षण करने पर गियर, क्लच, ब्रेक, और बाडी, ठीक हालत में, इंजिन बंद हालत में, हेण्डल सामने की ओर पलटा हुआ, हैडलाईट टूटा हुआ, सामने का चका क्षतिग्रस्त तथा सामने का मडघाट टूटा हुआ पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी तरह उक्त अपराध में जप्त अन्य मोटरसायकिल हीरो होण्डा काले रंग की नंबर सी.जी.10.ई.डी.7503 का परीक्षण करने पर गियर, क्लच, हेण्डल, ब्रेक, बाडी ठीक हालत में, इंजिन बंद हालत में, हैडलाईड टूटी-फूटी, सामने का चका तथा मडघाट क्षतिग्रस्त एवं सामने की नंबर प्लेट पिचकी हुई पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि वह कक्षा पांचवी तक पढ़ा है। उसके पास मैकेनिकल परीक्षण का कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि बिना इंजन खोले वाहन की यांत्रिकी खराबी नहीं बतायी जा सकती, किन्तु साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसने वाहन परीक्षण हेतु किसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, बिना डिग्री डिप्लोमा के वह वाहन के बारे में सटीक सलाह नहीं दे सकता है, उसने पुलिस के कहने पर वाहन का परीक्षण किया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस के बताये अनुसार रिपोर्ट तैयार की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने मैकेनिकल परीक्षण में क्या लिखा था, उसे पढ़कर नहीं सुनाया था और ना ही उसे देखने का मौका आया था।

21— साक्षी श्यामदेव डोंगरे (अ0सा0-06) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह दिनांक 21.04.2012 को पुलिस थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षण के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-56/12 धारा-279, 337 भा.द.सं. के अन्तर्गत सूचनाकर्ता साहबसिंह की सूचना पर ग्राम तिसाटोला मोहगांव के मोटरसायकिल क्रमांक. सी.जी.10.ई.डी.7503 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया था, जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही मृतक संपतसिंह का मार्ग क्रमांक 12/12 मार्ग इंटीमेशन कायम कर जांच हेतु दिया था। रिपोर्टकर्ता साहबसिंह की सूचना पर मार्ग इंटीमेशन तैयार किया था। उसके द्वारा आहत हरी का मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में कराने हेतु सैनिक समनसिंह के द्वारा मुलाहिजा फार्म तैयार कर भेजा था, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृतक संपत का नक्शा पंचनामा प्र.पी.3 पंचों के समक्ष तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

22— साक्षी श्यामदेव डोंगरे (अ0सा0-06) के अनुसार उसके द्वारा मृतक संपतसिंह का शव परीक्षण हेतु फार्म भरकर थाना बिरसा आरक्षक सनुपसिंह द्वारा भेजा गया था, जो प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी साहबसिंह, साक्षी संतोष, भुनेश, सुखचंद, मन्नु के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। दिनांक 15.05.2012 को आहत हरी और हेमन्त के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये थे। दिनांक 22.04.2012 को साहबसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल पर जाकर मौका नक्शा प्र.पी.0-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से एक हीरोहोण्डा स्पलेण्डर काले रंग की क्रमांक एम.पी.50एम.सी.4395 है, जिसके सामने का टायर फटा हुआ है, क्षतिग्रस्त हालत में जप्त किया था एवं एक हीरो होण्डा स्पलेण्डर क्रमांक सी.जी. 10ई.डी.7503 था। उक्त दोनों वाहन को क्षतिग्रस्त हालत में गवाह राजा धुर्वे एवं भुनेश के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 30.04.2012 को उक्त दोनों वाहनों का मैकेनिकल परीक्षण मनोज मेश्राम से करवाया गया था।

23— साक्षी श्यामदेव डोंगरे (अ0सा0-06) के अनुसार दिनांक 15.05.2012 को आरोपी हेमन्त को गवाह राजकुमार तथा प्रशांत के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान मृतक को गंभीर चोट आने से मृत्यु होना पाये जाने से धारा-304ए भा.द. वि. का ईजाफा किया था। आरोपी के वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर सी.जी.10ई. डी.7503 को आरोपी को बिना वैध लायसेंस के चलाने से धारा-3/181 मो. व्ही. एक्ट बढ़ाई गई थी। विवेचना पूर्ण कर चालान थाना प्रभारी को प्रस्तुत कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी साहबसिंह के बताये अनुसार नहीं लिखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर प्रार्थी साहबसिंह

मौजूद नहीं था। उसे याद नहीं है कि साक्षी संतोष घटनास्थल पर मौजूद था या नहीं। यह अस्वीकार किया कि उसने कही सुनी बातों के अनुसार रिपोर्ट दर्ज की थी, मृतक संपतसिंह घटना दिनांक को पेट्रोल भराने ग्राम पौनी तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर जा रहा था। यह स्वीकार किया कि इसी कारण घटना घटित हुई थी। यह अस्वीकार किया कि उसने शेष साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध न कर अपने मन से लेख कर लिये थे।

24— साक्षी श्यामदेव डोंगरे (अ0सा0-06) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक को हेमंत तथा मृतक दोनों को गंभीर चोटें आई थी तथा जिसके परिणामस्वरूप संपतसिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके द्वारा आहत हेमंत का मुलाहिजा फार्म भकर दिनांक 15.05.2012 को भेजा गया था, जो प्र.डी.01 है। यह अस्वीकार किया कि मृतक संपतसिंह ट्रक को ओवरटेक कर रहा था, उसने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रार्थी के अनुसार नहीं बनाया था, उसने जप्ती की कार्यवाही गवाहों के समक्ष नहीं की थी। यह स्वीकार किया कि वाहन परीक्षण हेतु परीक्षण ज्ञापन जारी किया जाता है, उक्त परीक्षण ज्ञापन प्रकरण में संलग्न नहीं है। साक्षी के अनुसार केस डायरी में संलग्न है। यह अस्वीकार किया कि गिरफ्तारी पंचनामा गवाहों के समक्ष तैयार नहीं किया था। यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा आरोपी को लायसेंस पेश करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, उक्त नोटिस प्रकरण में संलग्न नहीं है। यह अस्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी का लायसेंस गुम हो गया था। साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसे बताया था कि घटना के पूर्व से उसके पास कोई लायसेंस नहीं था। यह स्वीकार किया कि उक्त संबंध में कोई उल्लेख प्रकरण में नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने प्रकरण की संपूर्ण विवेचना नहीं की थी और प्रकरण झूठा तैयार किया था।

25— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में आहत हरी एवं हेमन्त स्वयं को साधारण उपहति कारित हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की हैं। घटना का एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आहत हरि अ.सा.05 है, जिसने घटना में स्वयं मृतक की गलती होने के कथन किये हैं, क्योंकि मृतक गाड़ी के पेट्रोल हेतु तेजी से पेट्रोल पंप की ओर जा रहा था। उक्त साक्षी अभियुक्त के वाहन पर सवार था और यदि तर्क के लिये यह मान लिया जाये कि उक्त साक्षी अभियुक्त को बचाने हेतु असत्य कथन कर रहा है, तब भी घटना का अन्य कोई साक्षी नहीं है, तथापि मृतक के

पिता परिवारी साहबसिंह अ.सा.01 तथा भाई संतोष अ.सा.02 दोनों ने घटना के समय मृतक के पेट्रोल भरने के लिये जाने के कथन किये हैं, जिससे उक्त आहत साक्षी के कथन अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, क्योंकि अन्य साक्ष्य के अभाव में मात्र मौका नक्शा प्र.पी.02 से अभियुक्त की उपेक्षा व उतावलेपन के संबंध में कोई विपरीत निष्कर्ष निकाला जाना उचित प्रतीत नहीं होता। स्वयं परिवारी साहबसिंह अ.सा.01 ने भी प्रतिपरीक्षण में अंधेरा होने के कारण घटना होना स्वीकार किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को लोकमार्ग पर अपने वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.10,ई.डी.7503 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर वाहन हीरो होण्डा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.सी.4395 में टक्कर मारकर आहत हरी को उपहति कारित किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर आहत सम्पतसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-04 का निष्कर्ष :-

26— साक्षी श्यामदेव डोंगरे (अ0सा0-06) का कथन है कि आरोपी द्वारा अपने वाहन सी.जी.10ई.डी.7503 को बिना वैध लायसेंस के चलाया जा रहा था, जिस कारण मो.या.अधि. की धारा-3/181 का ईजाफा किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये हैं। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन का चालन अविवादित है तथा वाहन पर सवार साक्षी हरि अ.सा.05 ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं था। दुर्घटना के समय वैध अनुज्ञप्ति के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया गया। फलतः अभियुक्त को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

27— अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (दो शीर्ष), 304ए के अंतर्गत आराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा मो. व्ही. एक्ट की धारा-3/181 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषसिद्ध कर 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी न किये जाने पर एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

28— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

29— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

30— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.सी.4395 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्माचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

31— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.10,ई.डी.7503 पुलिस थाना मलाजखंड में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त वाहन अपील अवधि पश्चात वाहन के पंजीकृत स्वामी को नियमानुसार दिया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही/—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग)